Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं घटनाक्रम

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CGPM04

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं घटनाक्रम

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

CGPCS DLP विषय सूची (Contents)

1.	**संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके सहयोगी संगठन**	**5–26**
1.1	संयुक्त राष्ट्र संघ: संरचना एवं संगठन	5
1.2	भारत-संयुक्त राष्ट्र संघ	15
1.3	वर्तमान परिदृश्य तथा भारत की संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान सक्रियता	21
2.	**अंतर्राष्ट्रीय संगठन**	**27–43**
2.1	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	27
2.2	विश्व बैंक	32
2.3	एशियाई विकास बैंक	38
2.4	एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक	40
3.	**द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह**	**44–82**
3.1	क्षेत्रीयकरण की प्रवृत्ति और क्षेत्रीय संगठनों का उभरना	44
3.2	दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक इकाई के रूप में उद्‌भव	45
3.3	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)	46
3.4	ब्रिक्स	59
3.5	बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल-बिम्सटेक	63
3.6	दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन-आसियान	66
3.7	अन्य क्षेत्रीय समूह	70

4. विश्व व्यापार संगठन एवं भारत पर इसके प्रभाव **83–97**

4.1 गैट से विश्व व्यापार संगठन तक का सफर 83

4.2 विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियामक निकाय 84

4.3 विश्व व्यापार संगठन एवं भारत 94

5. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ **98–150**

5.1 राष्ट्रीय घटनाएँ 98

5.2 अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ 134

5.3 पुरस्कार व सम्मान 146

अध्याय
1

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके सहयोगी संगठन (United Nations Organization and its Associated Organizations)

संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व स्तर पर इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का यह दूसरा प्रयास था। इसके पहले प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध एवं हिंसा को रोकने के लिये राष्ट्र संघ (League of Nations) की स्थापना की गई थी, लेकिन यह संगठन युद्ध रोकने में सफल नहीं हो सका था। द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका को देखते हुए युद्ध के दौरान ही विश्व के प्रमुख नेताओं ने एक ऐसा संगठन बनाने पर विचार करना शुरू कर दिया जो भावी पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाए, साथ ही विश्व में शांति भंग करने के प्रयासों को रोक सके। इसे देखते हुए द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 51 देशों द्वारा 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ये देश अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने, राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करने, सामाजिक प्रगति, बेहतर जीवन-स्तर की प्राप्ति तथा मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के प्रति प्रतिबद्ध थे।

1.1 संयुक्त राष्ट्र संघः संरचना एवं संगठन *(United Nations Organization : Structure and Organization)*

संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास *(History of the United Nations Organization)*

संयुक्त राष्ट्र शब्द अमेरिका के राष्ट्रपति रूज़वेल्ट द्वारा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1 जनवरी, 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र (Declaration by the United Nations) में किया गया था। उसी समय 26 देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी सरकारों की तरफ से धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ने का संकल्प व्यक्त किया था। संयुक्त राष्ट्र के पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ (League of Nations) का गठन भी इन्हीं परिस्थितियों में प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान 1919 की वर्साय की संधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति एवं सुरक्षा की प्राप्ति के लिये किया गया, लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध को रोक सकने में अपनी अक्षमता के कारण राष्ट्र संघ अपनी प्रासंगिकता तथा वैधता खो बैठा। 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को के अंतर्राष्ट्रीय संगठन संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on International Organization) में संयुक्त राष्ट्र चार्टर तैयार करने के लिये मिले। इन प्रतिनिधियों ने चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा अमेरिका के प्रतिनिधियों द्वारा अमेरिका के डमबार्टन ऑक्स (Dumbarton Oaks) में अक्टूबर 1944 में तैयार किये गए प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया। 26 जून, 1945 को चार्टर पर 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किये गए। पोलैंड ने इस सम्मेलन में भागीदारी नहीं की थी, लेकिन उसने बाद में इस पर हस्ताक्षर किया और 51वाँ प्रारंभिक सदस्य बना। आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर, 1945 को अस्तित्व में आया। इसके अस्तित्व में आने से पहले चीन, फ्राँस, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका तथा बहुसंख्यक हस्ताक्षरकर्त्ता देशों द्वारा इसकी अभिपुष्टि की गई। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस (United Nations Day) मनाया जाता है।

अधिदेश *(Mandate)*

अपनी अद्वितीय विशेषताओं तथा चार्टर में निहित इसकी शक्तियों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ कई मुद्दों पर कार्रवाई कर सकता है। यह संगठन विश्व के 193 देशों को अपने विचार व्यक्त करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराता है। ये देश अपने विचार महासभा (General Assembly) सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा अन्य संस्थाओं एवं समितियों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कार्य विश्व के सभी भागों को प्रभावित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति रक्षण (Peace Keeping) शांति निर्माण (Peace Building) संघर्ष रोकथाम (Conflict Prevention) तथा मानवीय सहायता के लिये जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी विशिष्ट एजेंसियाँ, कार्यक्रम एवं कोष हमारे जीवन

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 को हुई थी।
- संयुक्त राष्ट्र शब्द अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था।
- वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं।
- संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, रूसी तथा स्पेनिश शामिल है।
- संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंग है। इसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यासिता परिषद, अंतराष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय शामिल हैं।
- सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। जिसमें पांच स्थायी सदस्य एवं दस अस्थायी सदस्य होते हैं।
- अस्थायी सदस्य देश महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिये चुने जाते हैं।
- चीन, फ्राँस, रूस, ब्रिटेन तथा अमेरिका सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य देश है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग के पीस पैलेस में अवस्थित है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2019 को 'देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' के रूप में घोषित किया गया है।
- 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई?
   (a) 24 अक्टूबर, 1945
   (b) 23 अक्टूबर, 1948
   (c) 16 अक्टूबर, 1950
   (d) 23 अक्टूबर, 1950
2. इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है?
   (a) अरबी (b) फ्रेंच
   (c) जर्मन (d) स्पेनिश
3. सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या हैं।
   (a) 5 (b) 10
   (c) 15 (d) 20
4. संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) में लक्ष्यों की संख्या है-
   (a) 16
   (b) 17
   (c) 18
   (d) 21
5. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2019 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है?
   (a) देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष
   (b) अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष
   (c) अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता वर्ष
   (d) अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी वर्ष

उत्तरमाला

1. (a) 2. (c) 3. (c) 4. (b) 5. (a)

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिये)

1. संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों को बताएँ?
2. संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं को लिखें।
3. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है?
4. संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का क्या कार्य है?
5. संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं?

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिये)

1. संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास पर टिप्पणी लिखें।
2. संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना पर प्रकाश डालें।
3. संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की संरचना बताएँ।
4. सुरक्षा परिषद के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख करें।
5. महासभा के कार्य एवं शक्तियों पर प्रकाश डालें।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100/125/175 शब्दों में दीजिये)

1. भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मुख्य मांगों पर चर्चा करें।
2. भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ संबंधों के विकास पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखें।
3. निषेधाधिकार (वीटो) की शक्ति क्या है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के संदर्भ में इसके प्रयोग एवं उपयोगिता बताइये।

नोटः वर्ष 2018 से पूर्व परीक्षा प्रणाली में दीर्घउत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत 100/250/500 शब्द सीमा वाले प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जबकि नवीन परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत 100/125/175 शब्दों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

अध्याय
2

अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Organization)

'अंतर्राष्ट्रीय संगठन' पद का प्रयोग सर्वप्रथम स्कॉटलैंड के प्रमुख विधिवेत्ता जेम्स लोरिमर ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिनके सदस्य, कार्यक्षेत्र, प्रकृति, भूमिका एवं विस्तार वैश्विक स्तर पर हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आधारशिला अपने हितों की रक्षा के लिये विभिन्न राज्यों के मध्य स्वेच्छापूर्ण तरीके के स्वीकार्य अनुशासन एवं नियंत्रण की आवश्यकता ने रखी। विभिन्न देशों द्वारा अपनी समस्याओं तथा अन्य वैश्विक विवादों पर साझा विचार-विमर्श के माध्यम से सहमति एवं समाधान प्राप्त करने तथा पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निष्पक्ष एवं तटस्थ मंच की स्थापना की आवश्यकता ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म दिया। ये संगठन विभिन्न राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करते हुए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सहयोग एवं स्पर्द्धा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई प्रकार की श्रेणियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्यरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के लिये संयुक्त राष्ट्र संगठन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

इसी संदर्भ में देखें तो, वैश्विक स्तर पर पूंजी एवं तकनीकी के लेन-देन के माध्यम से संतुलित एवं समन्वित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिये मुक्त व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन से आसियान, सार्क, शंघाई सहयोग संगठन, एपेक, यूरोपीय यूनियन आदि जैसे संगठन भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

2.1 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष *(International Monetary Fund)*

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं स्थायी वैश्विक ढाँचे को बढ़ावा देने के लिये शीर्ष संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 'व्हाइट प्लान' (1943) तथा ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित 'कींस योजना' पर विचार-विमर्श के लिये वर्ष 1944 में वाशिंगटन में हुए 'ब्रेटनवुड्स सम्मेलन' में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की नींव रखी गई। इसका उद्घाटन 27 दिसंबर, 1945 को हुआ परंतु इसने 1 मार्च, 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है।

नवंबर 1947 में यह संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बना। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है। वर्तमान में इसमें कुल 189 सदस्य राष्ट्र हैं। 12 अप्रैल, 2016 को नौरू गणराज्य इसका 189वाँ सदस्य बना। फ्राँस की वित्त मंत्री क्रिस्टीना लेगॉर्ड वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक हैं। इसके प्रथम प्रबंध निदेशक कैमिल गट्ट थे।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य *(Objectives of International Monetary Fund)*

- अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना।
- विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना।
- बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त अथवा न्यूनतम करना।
- सदस्य राष्ट्रों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिये सहायता प्रदान करना।
- असंतुलन की मात्रा एवं अवधि में कमी करना।
- धन शोधन (Money Laundering) तथा आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने हेतु सदस्य देशों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना।
- विश्व में गरीबी को कम करने के लिये प्रयास करना।

अध्याय
3

द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह (Bilateral & Regional Groups)

द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख उपकरण हैं। बदलते वैश्विक परिदृश्य में इन समूहों की भूमिका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनयिक व रणनीतिक दृष्टिकोण से निर्णायक है। एशिया से लेकर यूरोप तक की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूहों ने राष्ट्र-राज्यों के नीति-निर्माण में उल्लेखनीय बदलाव किये हैं।

भूमंडलीकृत विश्व व्यवस्था ने द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूहों की भूमिका में निर्णायक वृद्धि की है। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व राजनयिक उद्देश्यों एवं आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु गठित द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह विश्व राजनीति के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। आसियान (ASEAN), सार्क (SARC), बिम्सटेक (BIMSTEC), नाटो (NATO), ब्रिक्स (BRICS) आदि प्रमुख क्षेत्रीय समूह के उदाहरण हैं।

3.1 क्षेत्रीयकरण की प्रवृत्ति और क्षेत्रीय संगठनों का उभरना *(Tendency of Regionalization and Emergence of Regional Organizations)*

जब कभी भी एकीकरण की प्रक्रिया की बात की जाती है तो सामान्यतया पारस्परिक हितों व उत्तरदायित्वों को सम्मान दिया जाता है। सामाजिक व राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर मानवीय संबंधों को वरीयता देना अपेक्षित होता है।

संघर्ष प्राय: विकास कार्यों को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जनसाधारण की निर्धनता बढ़ती जाती है, इसीलिये संघर्ष का उपचार है सहयोग। किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रों के मध्य तनाव और संघर्ष को कम करने तथा सहयोग को प्रोत्साहन देने में क्षेत्रीय संगठन सहायक होते हैं। क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के रूप में मान्यता प्राप्त होती है।

क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने वाले कारक हैं– भौगोलिक स्थिति, जाति, भाषा, धर्म, सभ्यता और ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समानताएँ। देशों के मध्य जितना अधिक पारस्परिक मेल-जोल और आदान-प्रदान होगा, सामूहिक प्रयासों की सफलता की संभावनाएँ भी उतनी ही अधिक होंगी।

यद्यपि उपर्युक्त तत्त्व बहुत प्राचीन हैं परंतु क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोग की अवधारणा का विकास पिछले कुछ दशकों में हुआ है। पहली बार दक्षिण एशिया में सन् 1977 में तत्कालीन बांग्लादेशी राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान ने एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन का विचार प्रस्तुत किया था, परंतु उससे भी पहले विश्व के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना हो चुकी थी और वे सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार थे– सन् 1945 में स्थापित अरब लीग, सन् 1948 में स्थापित अमेरिकी राज्यों का संगठन (Organization of American States – OAS) और सन् 1967 में स्थापित दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (ASEAN) इत्यादि।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 52 में क्षेत्रीय संगठनों का प्रावधान है। इसमें प्रावधान किया गया है कि "ऐसी क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ या एजेंसियाँ स्थापित की जा सकती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से सुसंगत हों एवं क्षेत्रीय कार्यविधि के मानदंडों को पूरा करती हों।" यह भी व्यवस्था है कि क्षेत्रीय संगठनों को संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिये। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् स्थापित कुछ क्षेत्रीय संगठन सैनिक संधियों के रूप में थे। इनमें उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization – NATO), दक्षिण-पूर्व एशिया संधि संगठन (SEATO), ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा संधि (ANZUS) तथा वारसा समझौता (Warsaw Pact) शामिल हैं।

इन रक्षात्मक संधि संगठनों के अतिरिक्त कई क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन भी स्थापित किये गए। सार्क (SAARC) ऐसे ही संगठनों में से एक है।

अध्याय
4

विश्व व्यापार संगठन एवं भारत पर इसके प्रभाव (World Trade Organization & its Impact on India)

विश्व व्यापार संगठन का सृजन 1 जनवरी, 1995 को प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) के स्थान पर हुआ था। इसका सृजन उरुग्वे दौर की वार्ता के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद किया गया था। गैट के उरुग्वे दौर की वार्ता का सफलतापूर्वक समापन तथा 1995 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) का सृजन अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। जिसके अंतर्गत वर्तमान कानून एवं व्यवहार मज़बूत होते गए तथा सेवा और बौद्धिक संपदा जैसे नए क्षेत्रों को नियम आधारित व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया। इस दौरान विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या में भी अचानक वृद्धि हुई। 1947 में गैट के 23 सदस्यों से प्रारंभ कर जुलाई 2016 में विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य हो गए हैं। इनमें लगभग तीन-चौथाई विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ हैं। WTO के 10वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में दो नए सदस्य लाइबेरिया व अफगानिस्तान के लिये संगठन की सदस्यता हेतु मंज़ूरी दे दी गई। ये दोनों WTO के क्रमशः 163वें व 164वें सदस्य हो गए। यह सम्मेलन कीनिया की राजधानी नैरोबी में दिसंबर 2015 को संपन्न हुआ। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था (Multilateral Trading System) के सिद्धांतों को बनाए रखना है। लेकिन इन सबसे बढ़कर विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा वार्ता मंच है जहाँ सदस्य देश दूसरे देश में आ रही व्यापारिक समस्याओं का समाधान बातचीत से करने का प्रयास कर सकते हैं। संगठन का संचालन सदस्य देश की सरकारों द्वारा किया जाता है। सभी प्रमुख निर्णय सभी सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से लिये जाते हैं। अंग्रेज़ी, फ्रेंच तथा स्पेनिश विश्व व्यापार संगठन की तीन आधिकारिक भाषाएँ हैं।

4.1 गैट से विश्व व्यापार संगठन तक का सफर *(Journey form GATT to World Trade Organization)*

गैट के आठ दौर की वार्ता *[Eight Round Talks of GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)]*

गैट कई देशों के बीच एक कानूनी समझौता था जिसका व्यापक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापार बाधाओं को कम करना था। जेनेवा सम्मेलन में 30 अक्टूबर, 1947 को 23 देशों द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद 1 जनवरी, 1948 को न्यूनतम व्यापारिक संरक्षण या प्रतिबंध तथा एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के निर्माण पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उद्देश्य से गैट (GATT) का उद्भव हुआ। गैट की स्थापना के साथ गैट आठ महत्त्वपूर्ण दौरों से होकर गुज़रा और अंततः मोरक्को घोषणा (15 अप्रैल, 1994) के साथ नई व्यापार व्यवस्था की शुरुआत हुई। विश्व के 123 देशों, जिनमें भारत भी शामिल था, ने गैट के समझौते पर हस्ताक्षर किये और इसके उपरांत 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना हुई।

गैट के महत्त्वपूर्ण 8 दौर निम्नलिखित हैं-

- **जेनेवा वार्ता, 1947 (Geneva Talks, 1947):** इस दौर में 23 देश शामिल थे जिन्होंने 30 अक्टूबर, 1947 को समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके बाद गैट का उद्भव हुआ। यह दौर प्रशुल्क पर केंद्रित था। इस दौर में 23 मूल सदस्यों द्वारा 45,000 उत्पादों, जो 10 बिलियन डॉलर के थे, पर पारस्परिक आधारों पर प्रशुल्कों में कटौती की गई।
- **एनेकी वार्ता, 1949 (Annecy Talks, 1949):** इस वार्ता में 13 देश भागीदार थे। इस दौर में मुख्य विषय प्रशुल्क (Tariff) था। भागीदार देशों ने 5000 उत्पादों पर सीमा-शुल्क को घटाया।
- **तोरक्ये वार्ता, 1951 (Torquay Talks, 1951):** यह दौर ब्रिटेन के तोरक्ये में हुआ। इस दौर में शामिल 38 देश 8700 प्रशुल्कों में कमी करने पर सहमत हुए और 1948 के प्रशुल्क स्तर में 25% की कमी की गई।
- **जेनेवा II वार्ता, 1956 (Geneva II Talks, 1956):** चौथे दौर की वार्ता जेनेवा में संपन्न हुई, जिसमें 26 भागीदार राष्ट्र 2.5 बिलियन डॉलर मूल्य के व्यापार उत्पादों हेतु शुल्कों में कटौती करने पर सहमत हुए।

अध्याय
5

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ (National and International Events)

5.1 राष्ट्रीय घटनाएँ *(National Events)*

अनुच्छेद 370 और 35A *(Article 370 and 35A)*

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू-कश्मीर राज्य के लिये विशेष प्रावधान निर्दिष्ट हैं। इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है। जबकि अनुच्छेद 35A, अनुच्छेद 370 का ही विस्तार हैं। यद्यपि इसे संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में नहीं जोड़ा गया था बल्कि अस्थायी उपबंध के रूप में शामिल किया गया था।

अनुच्छेद 370 (Article 370)

- अक्तूबर 1949 को संविधान में शामिल, अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान से जम्मू-कश्मीर को छूट देता है (केवल अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर) तथा राज्य को अपने संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति देता है। यह जम्मू और कश्मीर के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। साथ ही ऐसा प्रावधान किया गया है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस (IoA) में शामिल विषयों पर केंद्रीय कानून का विस्तार करने के लिये राज्य सरकार के साथ "परामर्श" की आवश्यकता होगी।
- यह तब तक के लिये एक अंतरिम व्यवस्था मानी गई थी जब तक कि सभी हितधारकों को शामिल करके कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान हासिल नहीं कर लिया जाता है।
- यह राज्य को स्वायत्तता प्रदान करता है और इसे अपने स्थायी निवासियों को कुछ विशेषाधिकार देने की अनुमति देता है।
- राज्य की सहमति के बिना आंतरिक अशांति के आधार पर राज्य में आपातकालीन प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- राज्य का नाम और सीमाओं को इसकी विधायिका की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है।
- राज्य का अपना अलग संविधान, एक अलग ध्वज और एक अलग दंड संहिता (रणबीर दंड संहिता) है।
- राज्य विधानसभा की अवधि छह साल है, जबकि अन्य राज्यों में यह अवधि पाँच साल है।
- भारतीय संसद केवल रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में जम्मू-कश्मीर के संबंध में कानून पारित कर सकती है। संघ द्वारा बनाया गया कोई अन्य कानून केवल राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू-कश्मीर में तभी लागू होगा जब राज्य विधानसभा की सहमति हो।
- राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकता हैं कि इस अनुच्छेद को तब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि राज्य विधानसभा इसकी सिफारिश नहीं करती है।
- अनुच्छेद-370 (3) के संबंध में चर्चा की गई है कि क्या अनुच्छेद-370 को संविधान से निरसित किया जा सकता है या नहीं, और यदि किया जा सकता है तो उसकी विधि क्या होगी? इसके अनुसार, राष्ट्रपति को यह घोषित करने की शक्ति है कि अनुच्छेद-370 प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों तथा सुधारों के साथ प्रवर्तन में रहेगा जो वह विनिर्दिष्ट करे; किंतु वह ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू-कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने इस आशय की सिफारिश (Recommendation) की हो।

अनुच्छेद 35A (Article 35A)

- अनुच्छेद 35A, जो कि अनुच्छेद 370 का विस्तार है, राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिये जम्मू-कश्मीर राज्य की विधायिका को शक्ति प्रदान करता है और उन स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है तथा राज्य में अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के स्वामित्व की अनुमति नहीं देता है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी तथा फ्लोचार्ट का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596